भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 194

उत्तर देने की तारीख-24/07/2024

पेपर लीक की घटनाएं

194 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाऐं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी परीक्षा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पेपर लीक से कितने छात्रों, अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती के साथ-साथ प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न निकायों द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा से संबंधित विशिष्ट घटनाओं के बारे में आंकड़े मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण के लिए, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 बनाया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और 23 जून, 2024 को इसके तहत नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

*****